न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 656 / 2026

20.06.2026

आवेदकगण **शंभू सिंह एवं शुभम** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदकगण को **धरहरा थाना काण्ड संख्या 61 / 2026** अन्तर्गत **धारा 191 (2), 126 (2), 115 (2), 109, 74, 132, 281, 352, 351 (1) 3(5) बी0एन0एस0** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार तोमर एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सूचनाकर्ता दिनांक 27.04.2026 को रात 10:00 बजे धरहरा पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल दशरथ कुमार चौधरी, महिला कांस्टेबल नीतू कुमारी के साथ डायल नम्बर 112 वाहन से छापेमारी के लिए निकले और इटवा हाट के पास पहुँचे । इसी दौरान बुलेट पर सवार व्यक्ति ने तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण डायल नंबर 112 वाहन को टककर मार दी और दशरथ कुमार चौधरी सूचनाकर्ता ने बुलेट चालक को पकड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों ने पुलिस बल को गाली दी और धक्का मुक्की की। 20–25 लोग वहॉ आ गए और पुलिस के हथियार छीनने और महिला पुलिसकर्मी की इज्जत पर हमला करने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने भी वहॉ इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्श करने लगे और पुलिसकर्मी को गोली की चपेट में आने से बचाया गया, साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी बचाया गया। सभी संदिग्ध व्यक्ति ग्रामीणों को देखकर भाग गए। सूचनाकर्ता ने बी0आर0 08आर0 0348 नम्बर की गोली और एक मोबाईल घटनास्थल से जप्त किया। आवेदकगण की ओर न तो किसी अन्य न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में इससे पूर्व कोई जमानत आवेदन दायर किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है और उनको फंसाने के उद्देश्य से प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है और शंभू सिंह जप्त मोटरसाईकिल का चालक है। घटनास्थल पर महाविष्णु यज्ञ किया जा रहा था, जिसके कारण काफी भीड़ थी और मोटरसाईकिल थोड़ा सा पुलिस की गाड़ी से सट गई तो सूचक और अन्य कांस्टेबल आवेदकगण के साथ मारपीट करने लगे जबकि आवेदकगण क्षति का पैसा देने के लिए तैयार थे किन्तु पुलिस ने पांच हजार रूपया जबरदस्ती आवेदकगण से ले लिया। प्राथमिकी के सभी धाराएं जमानतीय है, केवल धारा 109, 74 तथा 132 बी0एन0एस0 अजमानतीय है और आवेदकगण किसी भी शर्त पर जमानत देने को तैयार है।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामित अभियुक्त हैं और इसका घटना में शामिल में शामिल होने की बात कही गयी है, जिसका समर्थन गवाहों ने किया है। अतः, अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

लगातार

20.06.2026

उभयपक्षों को सुना व अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्तगण नहीं है और न ही उनका पूर्व आपराधिक इतिहास है, इसके अतिरिक्त कांड दैनिकी के पारा 87 में स्पष्ट है कि ज्यादा चोट नहीं लगा था और दवा खाकर ठीक हो गए, जो धारा 109 बी0एन0एस0 का मामला नहीं बनता है, इसके अतिरिक्त प्राथमिकी से यह भी स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का आशय छेडछाड़ करने का नहीं था।

ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर आदेश प्रापति के 20 दिनो के अंदर विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तो पर आवेदक अभियुक्तगण **शंभू सिंह एवं शुभम** को अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. एक जमानतदार आवेदकगण के परिवार के सदस्य अथवा निकटवर्ती संबंधी होंगे।

2. आवेदकगण अन्तर्गत धारा 482 (2) बी0 एन0 एस0 एस0 के शर्तों पर शपथपत्र दाखिल करने तथा प्रत्येक तिथि को हाजिरी–पैरवी दाखिल करने एवं आरोप के गठन की सुनवाई पर सदेह उपस्थित रहेंगे।

3. इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

order of copy and L.C.R प्राप्त हुआ
D.B. No. 60, Dated - 22-06-2026

लेखापित

(विकास मिश्र)
जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
दिनांक 20.06.2026